



**Subject: Circular for traffic violations
Classes-Nursery to XII**

SPS/921/ 2023

22nd January 2024

This is with reference to Circular No. SPS/810/ 2023 dated 13th December 2023, for adherence to traffic rules, keeping in view the safety of our students. We have in addition addressed atleast 1000 parents directly on this issue.

Kindly note that students emulate what they observe in elders and it becomes mandatory for us as role models to demonstrate socially viable and civic behaviour to groom the young generation.

In addition to this, safety norms for the students are of utmost importance and cannot be compromised at any cost. However, it has been observed that some of the parents, as per their convenience, are overlooking traffic rules. They often drive on the wrong side and park unabashedly anywhere to drop their wards. This leads to traffic jams and chaos. Moreover, they over speed and also do not wear helmets while driving two wheelers. It needs to be reflected that by doing so they are not only endangering their own lives but also of their little ones whom they are escorting.

Parents/students have also been seen to coming Pusa Road, by jumping the Central verge (which has a railing too). This is extremely risky and illegal since a Zebra crossing is available just 50 m away at the traffic signal.

For students commuting through private cars/carpools who need to be dropped to School in the morning/picked up in the afternoon, it may be noted that:

1. All private vehicles will stop at the disembarking points which have been created near all gates with School personnel to aid and guide the students ahead. A safe walking passage will be provided to the students towards the School Gate from there. In case the child has to be dropped at gate No.5, then the approach will be from Shankar road.
2. No vehicles whatsoever, will proceed beyond these disembarking points or park in front of any of the School gates to drop their child/children. In case you have children studying in the primary and/or Senior School, it will be advisable to drop both your children at one disembarking place only.

It is therefore notified that henceforth the authorities will be constrained to take serious action against the ones who will be found driving two wheelers without helmets or those driving in the wrong lanes, over speeding and /or parking in the wrong places.

It is our responsibility to ensure a safe and civic approach for the smooth monitoring of the traffic so that we have a congenial environment for both, the school community and the residents of the area.

We look forward to your unstinted support in the best interest of all stakeholders.

Regards

Priyanka Barara
Principal



विषय: यातायात उल्लंघन हेतु परिपत्र
कक्षाएँ: नर्सरी से बारहवीं

SPS/921/ 2023

22 जनवरी 2024

प्रिय अभिभावक,

छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यातायात नियमों के पालन हेतु, दिनांक 13 दिसंबर 2023 को संख्या एसपीएस/810/2023 परिपत्र प्रेषित किया गया। साथ ही उपर्युक्त मुद्दे पर हमारे द्वारा लगभग 1000 अभिभावकों को सीधे संबोधित किया गया है।

यह ध्यातव्य है कि छात्र अपने अभिभावकों और अध्यापकों का अनुकरण करते हैं। देश और समाज के जिम्मेदार नागरिक और अपने बच्चों के आदर्श होने के नाते यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भावी युवा पीढ़ी को तैयार करने के लिए उचित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करें।

यह सर्वविदित है कि छात्रों के कल्याण हेतु सुरक्षा मानदंडों का पालन अत्यंत आवश्यक है और किसी भी कीमत पर इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। हालाँकि, यह ज्ञात हुआ है कि कुछ अभिभावक अपनी सुविधा को प्रमुखता देते हुए यातायात के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। वे अकसर गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं और अपने बच्चों को विद्यालय तक छोड़ने के लिए अव्यवस्थित ढंग से कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इससे यातायात जाम हो जाता है और परिवहन संबंधी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है।

इसके अतिरिक्त कुछ अभिभावक तेज गति से दोपहिया वाहन चलाते हैं और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट भी नहीं पहनते हैं। यह संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि ऐसा करके वे न केवल अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि अपने छोटे-छोटे बच्चों की सुरक्षा की भी अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ अभिभावकों/छात्रों को सेंट्रल वर्ज (जहाँ रेलिंग भी है) कूदकर पूसा रोड पर आते देखा गया है। यह बेहद जोखिम भरा और अवैध है, जबकि लालबत्ती पर केवल 50 मीटर की दूरी पर सड़क पार करने के लिए जेबरा क्रॉसिंग है।

निजी कारों/कारपूल के माध्यम से प्रातः छात्रों को विद्यालय छोड़ते समय और दोपहर को उन्हें वापस ले जाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि -

- सभी निजी वाहन छात्रों को विद्यालय छोड़ने और वापस लेने के लिए निर्धारित स्थानों पर ही रुकें, जो विद्यालय के सभी मुख्य द्वारों के निकट बनाए गए हैं। इस दौरान विद्यालय कर्मचारी छात्रों को आगे बढ़ने में सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। वहाँ से छात्रों को विद्यालय के मुख्य द्वार की ओर सुरक्षित पैदल मार्ग निर्देशित किया जाएगा। यदि बच्चे को विद्यालय की द्वार संख्या-5 पर छोड़ना है, तो प्रवेश द्वार शंकर रोड से होगा।
- कोई भी वाहन विद्यार्थियों को छोड़ने के लिए निर्धारित इन स्थानों से आगे नहीं बढ़ेगा या विद्यालय के किसी द्वार के सामने नहीं रुकेगा। यदि आपके बच्चे प्राथमिक और उच्चतर दोनों ही कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो सलाह दी जाती है कि आप अपने दोनों बच्चों को उतरने के लिए निर्धारित किसी एक ही स्थान पर छोड़ें।

अधिसूचित किया जाता है कि जो बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते पाए जाएँगे, गलत दिशा में गाड़ी चलाएँगे, तेज़ गति से गाड़ी चलाएँगे या गलत स्थानों पर गाड़ी खड़ी करेंगे, उनके विरुद्ध संबंधित अधिकारी गंभीर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

यातायात की सुचारू निगरानी के लिए एक सुरक्षित और नागरिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि हमारे विद्यालय-समुदाय और क्षेत्र के निवासियों दोनों के लिए अनुकूल वातावरण हो। हम सभी हितधारकों के कल्याण हेतु आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

धन्यवाद सहित

प्रियंका बरारा
प्रधानाचार्या